प्रेस विज्ञप्ति

11/9/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु ने धन शोधन के अपराध में संलिप्त पाए जाने पर 09/09/2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कारवार के विधायक सतीश कृष्ण सैल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद, उन्हें कर्नाटक राज्य के सांसदों/विधायकों के लिए माननीय विशेष न्यायालय (सीसीएच-82), बेंगलुरु के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने आरोपी को 03 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। सतीश कृष्ण सैल और 12 अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं को माननीय विशेष न्यायालय (सीसीएच-82) द्वारा वन अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए लौह अयस्क चूर्ण के अवैध निर्यात के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया, जिससे सरकारी खजाने को 86.78 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

इससे पहले, सतीश सेल और अन्य (मेसर्स आशापुरा माइनकेम लिमिटेड, मेसर्स आईएलसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स स्वास्तिक स्टील (होस्पेट) प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर मिनरल्स और मेसर्स श्री लाल महल लिमिटेड) के मामले में पीएमएलए के तहत कारवार (उत्तर कन्नड़), होस्पेट, गोवा, मुंबई और नई दिल्ली में कई स्थानों पर 13/08/2025 और 14/08/2025 को तलाशी और जब्ती अभियान चलाया गया था।

तलाशी कार्रवाई के परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज, ई-मेल पत्राचार, रिकॉर्ड आदि जब्त किए गए। साथ ही, 1.68 करोड़ रुपये की नकदी, 6.75 किलोग्राम वजन के बुलियन/सोने के आभूषण (मूल्य 6.58 करोड़) के साथ-साथ 14.73 करोड़ रुपये के बैंक खातों में शेष राशि जब्त/फ्रीज कर दी गई है।

आगे की जाँच जारी है।